पत्र संख्या उ0 नि0–34/11 ......111....../रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

राघवेन्द्र झा (भा0प्र0से0)
अपर सचिव–सह–निदेशक–
सह–प्रभारी निदेशक (उर्दू)।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक......19-4-12......

विषयः– उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा समाहरणालय /अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों में पदस्थापित उर्दू कर्मचारियों को अपने स्तर से निलम्बित नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड कार्यालयों में उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक, टंकक (उर्दू/हिन्दी) एवं कार्यालय परिचारी पदस्थापित हैं इन कर्मचारियों के संबंध में प्रायः जिला पदाधिकारी अपने स्तर से निलम्बित कर निलंबन की सम्पुष्टि हेतु विभाग को पत्र भेजते हैं।

विदित हो कि राज्य स्तर पर समाहरणालय/अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित उर्दू कर्मी के नियुक्ति पदाधिकारी प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना हैं, जिनमें विभागाध्यक्ष की शक्तियॉ प्रत्यायोजित है। इस प्रकार उर्दू कर्मियों के मामले में निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष में निहित है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत परिपत्र 2/सी0 3–3087/96 का0 2144 दिनांक– 15.03.2000 में स्पष्ट निदेश है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि इस विभाग के किसी भी उर्दू कर्मी का निलबन अथवा अन्य मामले में अपने स्तर से कार्रवाई नहीं की जाय। यदि आवश्यक हो तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करने संबंधी अनुशंसा भेजी जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

18.4.12

(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक–
सह–प्रभारी निदेशक (उर्दू)।

18.4.12

E:\Mukhtar Bhai New\patr sankhya uni u34 e411 ——09-02-2012.doc